

हरियाणा सरकार

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जून, 1999

स.सा.का.नि.69 संवे.अनु. 309/99,--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा पशु चिकित्सा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय ग्रुप (घ) सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की भर्ती तथा उन की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग-1 सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा पशु चिकित्सा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय (ग्रुप-घ) सेवा नियम, 1999, कहे जा सकते हैं ।
- (2) ये राजपत्र में इन के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएं :

2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, पशुपालन विभाग हरियाणा ;
- (ग) "रोज़गार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में स्थित रोज़गार कार्यालय ;
- (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
- (ङ) "कार्यालयाध्यक्ष" से अभिप्राय है, राजकीय पशुधन फार्म हिसार की दशा में, मुख्य अधीक्षक ;

हरियाणा राज्य पशु-प्रजनन-परिजोजना, हिसार की दशा में परियोजना निदेशक ;  
हरियाणा पशु चिकित्सा. टीका संस्थान, हिसार की दशा में संस्थान निदेशक, या  
उप निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसी भी स्थिति हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता, प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो अन्य ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उन के सम्बन्धी न हों, किन्तु उस के व्यवितगत जीवन में उससे भली भाँति परिचित हों और जो उस के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले जनवरी प्रथम दिन को या उससे पहले सोलह वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति परिशिष्ट ग के खाना 3 में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी ।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट क खाना 4 में विनिर्दिष्ट अहर्तायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहर्ताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग, प्रवर्गों में, उन के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिये लिखित रूप से कारण दिये जायेंगे ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षातकार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता, प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो अन्य ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उन के सम्बन्धी न हों, किन्तु उस के व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भाँति परिचित हों और जो उस के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले जनवरी प्रथम दिन को या उससे पहले सोलह वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति परिशिष्ट ग के खाना 3 में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट क खाना 4 में विनिर्दिष्ट अहतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग, प्रवर्गों में, उन के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप से कारण दिये जायेंगे।

**अयोग्यताएं :**

8. कोई भी व्यक्ति, --

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा कर ली है ; या

(ख) जिस ने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की सविदा कर ली है ;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

**भर्ती का ढंग :**

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी : --

**मुख्यालय अमला :**

(I) दफ्तरी की दशा में, --

(i) सेवादार में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(II) जमादार की दशा में, --

(i) सेवादार में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(III) सेवादार की दशा में, --

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(IV) चौकीदार की दशा में, -

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(V) मेहतर की दशा में, -

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

अधीनस्थ अगला :

(I) दफ्तरी की दशा में, -

- (i) सेवादार में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(II) जमादार की दशा में, -

- (i) सेवादार में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(III) मेट (कृषि) की दशा में, -

- (i) हाली या बेलदार में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(IV) मेट (पशुधन) की दशा में, -

- (i) डेरी परिचर/सांड परिचर/ग्वाला में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(V) झलाईगर की दशा में, --

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(VI) खरादी की दशा में, --

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(VII) दोहक की दशा में, --

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(VIII) सेवादार की दशा में, --

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(IX) मेहतर की दशा में, --

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(X) चौकीदार/पहरेदार की दशा में, --

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XI) सांड परिचर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XII) पानीवाला की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XIII) ड्रेसर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XIV) कुक्कट परिचर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XV) वीर्य वाहक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XVI) साक्षर श्रमिक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XVII) वन रक्षक/वन सेवादार की दशा में, -

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XVIII) सूकर परिचर की दशा में, -

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XIX) भिश्ती की दशा में, -

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XX) साईस की दशा में, -

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXI) डैरी परिचर की दशा में, -

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXII) भारतोलक की दशा में, -

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;



(XXIII) हाली/माली की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXIV) ट्रक सफाई कर्ता की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXV) माली की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXVI) प्रयोगशाला परिचर की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXVII) ग्वाला (गाय तथा भैंस) की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXVIII) गोदाम पालक/तालाब पालक की दशा में,--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXIX) क्षेत्र श्रमिक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXX) डाक वाहक/रनर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXXI) भेड़पालक की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXXII) पम्प परिचर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXXIII) चतुर्थ श्रेणी सुरक्षा अमला की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXXIV) बेलदार की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(XXXV) मेहतर एवं माली की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXVI) सिंचाई मेट की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXVII) मुख्य ग्वाला की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXVIII) फायरमैन की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XXXIX) मेहतर एवं शाव परीक्षा परिचर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XL) पैकर की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLI) कोलमैन एवं मेहतर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLII) बड़ई की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLIII) चूजा पालन परिचर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLIV) कसाई (बूचड़) की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLV) प्रजनन एवं पालन परिचर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLVI) पहरेदार की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLVII) हैल्पर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(XLVIII) मेहतर एवं चौकीदार की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(IL) ड्रेसर/ऊन ड्रेसर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(L) समयपाल (टाईम-कीपर) की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LI) पशु पकड़नेवाला की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LII) कनिष्ठ दुग्ध मापक की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LIII) बायलर परिचर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LIV) धुड़सवार की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LV) बायलर चूजे पालन परिचर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LVI) शुष्क तथा लघु भण्डार (यंग स्टोक) परिचर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LVII) काफ बुवाई की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LVIII) चारा काटने वाला (चफ कटर) की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LIX) बैल परिचर की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LX) भण्डारी (स्टोक मैन) की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LXI) कामदार की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LXII) धौकनी चलाने वाला (वेलो-बुवाय) की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(LXIII) चाल-वाला (फरियर) की दशा में, - -

(1) सीधी भर्ती द्वारा; या

(11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(3) जब कभी सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होने वाली होती है तो सरकार ऐसी रिक्ति भरे जाने की रीति निर्धारित करेगी ।

**परिवीक्षा :**

10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

**परन्तु —**

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है;
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसी स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह :--

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो, उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--
  - (1) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
  - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसे अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करें :



(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें; या
- (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**ज्येष्ठता :**

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियुक्त करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उन की ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उसके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

#### सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने पर दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,—

- (1) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय, या
- (11) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण-सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

**वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मागले :**

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

**अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें :**

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसे शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रखते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं ।

**टीका लगवाना :**

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

**राजनिष्ठा की शपथ :**

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उस ने पहले ही भारत के प्रति, तथा विधि द्वारा यथा-स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

**ढील देने की शक्ति :**

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों में किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

**विशेष उपबन्ध :**

18. इन नियमों के किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेशों में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

**आरक्षण :**

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

**निरसन तथा व्यावृत्ति :**

20. पंजाब राज्य (श्रेणी iv) सेवा-नियम, 1963, सेवा को लागू होने की सीमा तक इस के द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट-क

(देखिये नियम-3)

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		अस्थायी	स्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
मुख्यालय अमला					रुपए
1	दफ्तरी	2	--	1	2650-65-3300-द.रो. -70-4000
2	जमादार	--	1	1	2650-65-3300-द.रो. -70-4000
3	सेवादार	21	--	21	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
4	चौकीदार	1	1	2	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
5	मेहतर	--	1	1	2550-55-2660-द.रो. -60-3200+65 स्पेशल वेतन
क्षेत्रीय अमला					
1	दफ्तरी	1	--	1	2650-65-3300-द.रो. -70-4000
2	जमादार	--	1	1	2650-65-3300-द.रो. -70-4000
3	मेट (कृषि)	3	--	3	2650-65-3300-द.रो. -70-4000

1	2	3	4	5	6
4	मेट (पशुधन)	2	--	2	2650-65-3300-द.रो. -70-4000
5	झलाइगर	2	--	2	2650-65-3300-द.रो. -70-4000
6	खरादी	1	--	1	2610-60-3150-द.रो. -65-3540
7	दोहक	49	--	49	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
8	सेवादार	91	42	133	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
9	मेहतर	507	207	714	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
10	चौकीदार/पहरेदार	27	11	38	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
11	सांड परिचर	1162	140	1302	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
12	पानीवाला	657	185	842	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
13	ड्रेसर	--	26	26	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
14	कुक्कट परिचर	--	19	19	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
15	वीर्य वाहक	51	23	74	2550-55-2660-द.रो. -60-3200

1	2	3	4	5	6
16	साक्षर श्रमिक	13	--	13	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
17	वन रक्षक/वन सेवादार	--	15	15	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
18	सूकर परिचर	29	77	106	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
19	भिंशती	1	4	5	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
20	साईस	2	34	36	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
21	डेरी परिचर	1	10	11	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
22	भार तोलक	1	5	6	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
23	हाली	--	132	132	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
24	ट्रक सफाई-कर्ता	7	--	7	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
25	माली	2	3	5	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
26	प्रयोगशाला परिचर	30	3	33	2550-55-2660-द.रो. -60-3200
27	ग्वाला (गाय तथा बैस)	37	103	140	2550-55-2660-द.रो. -60-3200

1	2	3	4	5	6
28	गोदाम पालक/ तालाब पालक	--	7	7	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
29	क्षेत्र श्रमिक	18	--	18	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
30	डाक वाहक/रनर	2	2	4	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
31	भेड़पालक	111	33	144	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
32	पम्प परिचर	3	--	3	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
33	चतुर्थ श्रेणी सुरक्षा अमला	2	--	2	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
34	बेलदार	25	--	25	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
35	मेहतर एवं माली	--	10	10	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
36	सिंचाई मेट	1	2	3	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
37	मुख्य ग्वाला	4	--	4	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
38	फायर मैन	--	1	1	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200
39	मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर	--	1	1	2550-55-2660-द.रो.-60- 3200



1	2	3	4	5	6
40	पेकर	--	2	2	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
41	कोलमैन एवं मेहतर	--	1	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
42	बढ़ई	--	1	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
43	चूजा पालन परिचर	5	3	8	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
44	कसाई (बूचड़)	--	2	2	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
45	प्रजनन एवं पालन परिचर	--	2	2	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
46	पहरेदार	--	3	3	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
47	हेल्पर	6	--	6	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
48	मेहतर एवं चौकीदार	24	21	45	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
49	ड्रेसर/ऊन ड्रेसर	2	--	2	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
50	समयपाल (टाईम कीपर)	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
51	पशु पकड़ने वाला	3	--	3	2550-55-2660-द.रो.-60-3200

1	2	3	4	5	6
52	कनिष्ठ दुग्ध मापक	5	--	5	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
53	बायलर परिचर	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
54	घुड़सवार	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
55	बायलर चूजे पालन परिचर	2	--	2	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
56	काफ बुवाय	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
57	श काटने वाला (शफ कटर)	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
58	बैल परिचर	2	--	2	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
59	भंडारी (स्टोरमैन)	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
60	शुष्क तथा लघु (बंग स्टोक) परिचर	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
61	कामदार	2	--	2	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
62	धौकनी चलाने वाला (बैलो बुवाय)	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200
63	नाल वाला (फरियर)	1	--	1	2550-55-2660-द.रो.-60-3200

**परिशिष्ट-ख**  
(देखिये नियम 7)

क्रम सं.	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अहर्ताएं तथा अनुभव यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अहर्तायें तथा अनुभव यदि कोई हो ।
----------	-------	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

**मुख्यालय अमला**

1	दफ्तरी	--	(i) हिन्दी सहित मिडिल पास ; (ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
2	जमादार	--	(i) हिन्दी सहित मिडिल पास ; (ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
3	सेवादार	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।
4	चौकीदार	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
5	मेहतर	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।

**क्षेत्रीय अमला**

1	दफ्तरी	--	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
2	जमादार	--	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास :

1	2	3	4
			(ii) सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
3 मेट (कृषि)	--		पदोन्नति द्वारा-- (i) हाली/बेलदार के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ; (ii) हिन्दी के साथ मिडिल पास । स्थानान्तरण द्वारा-- (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) मेट (कृषि) के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
4 मेट (पशुधन)	--		पदोन्नति द्वारा-- (i) डेरी परिचर/संड परिचर/गवाला परिचर के रूप में आठ वर्ष का अनुभव । स्थानान्तरण द्वारा-- (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) मेट (पशुधन) के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
5 झलाईगर		(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से झलाईगर का डिप्लोमा ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से झलाईगर का डिप्लोमा ।
6 खरादी		(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;

1	2	3	4
	(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से खरादी का डिप्लोमा ।	(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से खरादी का डिप्लोमा ।	
7 दोहक	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) दोहक कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) दोहक कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।	
8 सेवादार	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।	
9 मेहतर	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	
10 चौकीदार/ पहरेदार	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	
11 सांड परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशु रखने का एक वर्ष का अनुभव/21 दिन का पशु-धन पालन/डिरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशु रखने का एक वर्ष का अनुभव/21 दिन का पशु-धन पालन/डिरी का प्रशिक्षण ।	
12 पानीवाला	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) 21 दिन का पशुधन पालन/डिरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) 21 दिन का पशुधन पालन/डिरी का प्रशिक्षण ।	

1	2	3	4
13	ड्रेसर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।
14	कुक्कुट परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) कुक्कुट पालन कार्य का एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डेरी का 21 दिन का कुक्कुट प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) कुक्कुट पालन कार्य का एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डेरी का 21 दिन का कुक्कुट प्रशिक्षण ।
15	वीर्य वाहक	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशु के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो । (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशु के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।
16	साक्षर श्रमिक	(i) हिन्दी के साथ मैट्रिक पास ;	(i) हिन्दी के साथ मैट्रिक पास ;

1	2	3	4
	(ii) मजदूरों से कार्य कराने का अनुभव ।	(ii) मजदूरों से कार्य कराने का अनुभव ।	
17 वन रक्षक/ वन सेवादार	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;	
18 सूकर परिचर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) सूकर फार्म के कार्य का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का सूकर प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) सूकर फार्म के कार्य का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का सूकर प्रशिक्षण ।	
19 भिखारी	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) पशुओं की गाड़ी चलाने का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) पशुओं की गाड़ी चलाने का एक वर्ष का अनुभव ।	
20 सार्ड	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ; (ii) घोड़ों/गधों की देखरेख का अनुभव ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ; (ii) घोड़ों/गधों की देखरेख का अनुभव ।	
21 डेरी परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठ भूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21	

1 2

3

4

दिन का पशुधन पालन/  
डेरी का प्रशिक्षण ।दिन का पशुधन पालन/  
डेरी का प्रशिक्षण ।

22 भारतोलक

- (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;  
(ii) धर्मकांटा (वे-ब्रिज) पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव । (ii) धर्मकांटा (वे-ब्रिज) पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।

23. हाली

- (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो । (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।  
(ii) ग्रामीण पुष्ठभूमि ; (ii) ग्रामीण पुष्ठभूमि ;  
(iii) खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष का अनुभव ; या (iii) खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष का अनुभव ; या  
(iv) 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी प्रशिक्षण । (iv) 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी प्रशिक्षण ।

24 ट्रक सफाई-कर्ता

- (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;  
(ii) ट्रक सफाईकर्ता का एक वर्ष का अनुभव । (ii) ट्रक सफाईकर्ता का एक वर्ष का अनुभव ।

25 माली

- (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;  
(ii) वृक्ष/पौधारोपण का एक वर्ष का अनुभव । (ii) वृक्ष/पौधारोपण का एक वर्ष का अनुभव ।

26 प्रयोगशाला  
परिचर

- (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;



1	2	3	4
		(ii) प्रयोगशाला-औजारों के रखने का एक वर्ष का अनुभव ।	(ii) प्रयोगशाला-औजारों के रखने का एक वर्ष का अनुभव ।
27	ग्वाला (गाय तथा भैंस)	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठ भूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।
28	गोदाम पालक/ तालाब पालक	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) रिकार्ड रखने का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) रिकार्ड रखने का एक वर्ष का अनुभव ।
29	क्षेत्र श्रमिक	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डेरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) खेती-बाड़ी कार्य का एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डेरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।
20	डाक वाहक/ रनर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ।
31	भेड़पालक	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;

2

3

4

	(ii) भेड़ों को रखने का एक वर्ष का अनुभव ।	(ii) भेड़ों को रखने का एक वर्ष का अनुभव ।
32 पम्प परिचर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) पम्प के कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) पम्प के कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।
33 चतुर्थ श्रेणी सुरक्षा अमला	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) कार्यालय/फार्म की सुरक्षा का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) कार्यालय/फार्म की सुरक्षा का एक वर्ष का अनुभव ।
34 बेलदार	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/डेरी का प्रशिक्षण ।
35 मेहतर एवं माली	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
36 सिंचाई मेट	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) खेती-बाड़ी मजदूरों के नियंत्रण का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) खेती-बाड़ी मजदूरों के नियंत्रण का एक वर्ष का अनुभव ।
37 मुख्य ग्वाला	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;

1	2	3	4
	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	
	(iii) कृषि कार्य का एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डिरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।	(iii) कृषि कार्य का एक वर्ष का अनुभव या पशुधन पालन/डिरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।	
38 फायर मैन	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	
	(ii) अग्नि शमन सेवा का एक वर्ष का अनुभव ।	(ii) अग्नि शमन सेवा का एक वर्ष का अनुभव ।	
39 मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ।	
40 पैकर	हिन्दी के साथ मिडिल पास हो ।	हिन्दी के साथ मिडिल पास हो ।	
41 कोलमैन एवं मेहतर	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	
42 बर्दई	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ;	
	(ii) बर्दई कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।	(ii) बर्दई कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।	
43 चूजापालन परिचर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ;	
	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	
	(iii) पशु/कुक्कुट पक्षियों के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन/डिरी प्रशिक्षण ।	(iii) पशु/कुक्कुट पक्षियों के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन/डिरी प्रशिक्षण ।	

1	2	3	4
44	कसाई	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
45	प्रजनन एवं पालन परिचर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुधन पालन का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुधन पालन का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
46	पहरेदार	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
47	हैल्पर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
48	मेहतर एवं चौकीदार	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।	हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ।
49	ड्रेसर/ऊन ड्रेसर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ;

1	2	3	4
	(iii) भेड़ों को पालने तथा रख- खाव का एक वर्ष का अनुभव ।	(iii) भेड़ों को पालने तथा रख- खाव का एक वर्ष का अनुभव ।	
50 समयपाल (टाईमकीपर)	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।	हिन्दी के साथ मिडिल पास ।	
51 पशु पकड़ने वाला	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं को रखने का एक वर्ष का अनुभव या पशु- धन पालन या डेरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं को रखने का एक वर्ष का अनुभव या पशु- धन पालन या डेरी का 21 दिन का प्रशिक्षण ।	
52 कनिष्ठ दुग्धमापक	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	
53 बायलर परिचर	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) पंजीकृत आप्रेटर ; (iii) बायलर आप्रेटर के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) पंजीकृत आप्रेटर ; (iii) बायलर आप्रेटर के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।	

1	2	3	4
54	घुड़सवार	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) घोड़ों या गधों के रखने का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) घोड़ों या गधों के रखने का एक वर्ष का अनुभव ।
55	बायलर चूजे पालन परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण क्षेत्र में कुक्कुट कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।
56	काफ बुवाय	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
57	शुष्क व लघु (यंग स्टॉक) परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।

1	2	3	4
58	चारा काटने वाला (चफ कटर)	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं को रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं को रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
59	बैल परिचर	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 2। दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।
60	भंडारी (स्टोरमेन)	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) भंडार रिकार्ड रखने का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी के साथ मिडिल पास ; (ii) भंडार रिकार्ड रखने का एक वर्ष का अनुभव ।
61	कामदार	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण क्षेत्र में खेती-बाड़ी का एक वर्ष का अनुभव ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो ; (ii) ग्रामीण क्षेत्र में खेती-बाड़ी का एक वर्ष का अनुभव ।
62	धौकनी चलाने वाला (बैलो बुवाय)	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ।

1	2	3	4
63	नालवाला (फैरियर)	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।	(i) हिन्दी पढ़ने लिखने योग्य हो ; (ii) ग्रामीण पृष्ठभूमि ; (iii) पशुओं के रखने का एक वर्ष का अनुभव या 21 दिन का पशुधन पालन/ डेरी का प्रशिक्षण ।



परिशिष्ट-ग

[ देखिये नियम 14(1) ]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधि- कारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधि- कारी	अपील प्राधि- कारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील अधिकारी, यदि कोई हो
----------------	-------	-----------------------------	---------------------	--	-------------------------	---

1 2 3 4 5 6 7

मुख्यालय अमला :

1	दफ्तरी	निदेशक	1. छोटी शास्तियां :	निदेशक	सरकार	--
2	जमादार	(i)	वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;			
3	सेवादार	(ii)	परिनिन्दा ;			
4	चौकीदार	(iii)	पदोन्नति रोकना ;			
5	मेहतर	(iv)	उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा या केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि- निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिस का पूर्ण, या अधिकांश स्वामित्व नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

या विश्वविद्यालय को हुई  
धन सम्बन्धी पूरी हानि की  
या उस के भाग की वेतन  
से वसूली ; और

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन  
वृद्धियां रोकना ;

## 2. बड़ी शास्तियां :

(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन  
वृद्धियां रोकना ;

(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के  
लिये समयमान में निम्नतर  
प्रक्रम पर अवनति ऐसे  
अतिरिक्त निर्देशों सहित कि  
क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी  
अवनति की अवधि के  
दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित  
करेगा या नहीं और क्या ऐसी  
अवधि की समाप्ति पर  
ऐसी अवनति उस की  
भावी वेतन वृद्धियां स्थगित  
करने का प्रभाव रखेंगी  
या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद  
या सेवा पर ऐसी अवनति,  
जो सरकारी कर्मचारी से

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

उस समय के वेतनमान,  
ग्रेड, पद या सेवा पर,  
जिससे वह अवनत किया  
गया था, पदोन्नति के  
लिये साधारणतया : रोक  
होगी, ऐसी जिस ग्रेड,  
पद अथवा सेवा से सरकारी  
अवनत किया गया था,  
बहाली सम्बन्धी और उस  
की ज्येष्ठता तथा उस  
ग्रेड, पद या सेवा पर  
वेतन के बारे में शर्तों  
सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों  
के साथ या उन के बिना  
होगा ;

(1x) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो  
सरकार के अधीन भावी  
नियोजन के लिये निरर्हता  
नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार  
के अधीन भावी नियोजन के  
लिये सामान्यता: निरर्हता होगी ।

1	2	3	4	5	6	7
-----						
<b>क्षेत्रीय अमला :</b>						
1	दफ्तरी कार्यालयाध्यक्ष	1.	छोटी शास्तियाँ :	कार्यालया-	निदेशक, सरकार	
		(i)	वैयक्तिक फाईल (आचरण- पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	ध्यक्ष	पशुपालन, हरियाणा	
2	जमादार					
3	मेट (कृषि)	(ii)	परितिन्दा ;			
4	मेट (पशुधन)	(iii)	पदोन्नति रोकना ;			
5	झलाइंगर	(iv)	उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा या केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उस के भाग की वेतन से वसूली ; और			
6	खारादी					
7	दोहक					
8	सेवादार					
9	मेहतर					
10	चौकीदार/पहरेदार					
11	सांड परिचर					
12	पानीवाला					
13	ड्रेसर					
14	कुक्कुट परिचर					
15	वीर्य वाहक					
16	साक्षर श्रमिक					
17	वन रक्षक/वन सेवादार	(v)	संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियाँ रोकना ,			
18	सूकर परिचर					

1	2	3	4	5	6	7
19	भिस्ती	(v)(क)	2. बड़ी शास्तियां : संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;			
20	साईक्ष					
21	डेरी परिचर	(vi)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिय समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उस की भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं ;			
22	भारतोलक					
23	हाली/माली					
24	ट्रक सफाईकता					
25	माली					
26	प्रयोगशाला परिचर					
27	ग्वाला (गाय तथा भैंस)					
28	गोदाम पालक/तालाब पालक					
29	क्षेत्र श्रमिक					
30	डाक वाहक/रनर					
31	भेड़ पालक	(vii)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी से उस समय के वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतय : रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, बहाली सम्बन्धी और			
32	पम्प परिचर					
33	चतुर्थ श्रेणी-सुरक्षा-अमला					
34	बेलदार					
35	मेहतर एवं माली					
36	सिंचाई मेट					
37	मुख्य ग्वाला					
38	फायर मैन					

1	2	3	4	5	6	7
39	मेहतर एवं शव परीक्षा परिचर		उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्ती सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उनके बिना होगा ;			
40	पैकर					
41	कोलमैन एवं मेहतर					
42	बढ़ई	(viii)	अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
43	चूजापालन, परिचर	(ix)	सेवा से हटाया जाना जो			
44	कसाई (बूचड़)		सरकार के अधीन भावी			
45	प्रजनन एवं पालन परिचर		नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;			
46	पहरेदार					
47	हैल्पर	(x)	सेवा से प्रदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।			
48	मेहतर एवं चौकीदार					
49	ड्रेसर/ऊन ड्रेसर					
50	समयपालन (टाईमकीपर)					
51	पशु पकड़ने वाला					
52	कनिष्ठ दुग्ध मापक					
53	बायलर परिचर					
54	धुड़सवार					

1	2	3	4	5	6	7
55	बायलर चुजे					
	पालन परिचर					
56	शुष्क तथा					
	लघु भंडार					
	(यंग स्टाफ)					
	परिचर					
57	काफ ब्वडि					
58	चारा काटने					
	वाला					
59	बेल परिचर					
60	भंडारी					
	(स्टोर मैन्)					
61	कामदार					
62	धौकनी चलाने					
	वाला					
	(बेलो-बुवाय)					
63	नालवाला (फेरियर)					

## परिशिष्ट घ

[दखिये नियम-14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश के लिए शसक्त प्राधिकारी	अपील प्राधि- कारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी ।
----------------	-------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## मुख्यालय अमला

1	दफ्तरी	(i) पेंशन को नियंत्रित करने	निदेशक	सरकार	--
2	जमादार	वाले नियमों के अधीन उसे			
3	सेवादार	अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त			
4	चौकीदार	पेंशन की राशि में कमी			
5	मेहतर	करना या रोकना ;			

(ii) सेवा के किसी सदस्य की  
उसकी अधिवर्षिता के लिये  
नियत आयु के होने से अन्यथा  
नियुक्ति की समाप्ति ;

## अधीनस्थ अमला

1	दफ्तरी	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले	कायलियाध्यक्ष	निदेशक, सरकार
2	जमादार	नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय		पशुपालन
3	मेट (कृषि)	सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की		हरियाणा
4	मेट (पशुधन)	राशि में कमी करना या		
5	झलाइगर	रोकना ;		
6	खरादी	(ii) सेवा के किसी सदस्य की		
7	दोहक	उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत		
		आयु के होने से अन्यथा		
		नियुक्ति की समाप्ति ।		



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

8 सेवादार

9 मेहतर

10 चौकीदार/पहरेदार

11 सांड परिचर

12 पानीवाला

13 ड्रेसर

14 कुक्कुट परिचर

15 वीर्य वाहक

16 साक्षर श्रमिक

17 वन रक्षक/  
वन सेवादार

18 सूकर परिचर

19 भिश्ती

20 साईंस

21 डेरी परिचर

22 भारतोलक

23 हाली

24 ट्रक सफाईकर्ता

25 माली

26 प्रयोगशाला  
परिचर

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

---

27 ग्वाला

(गाय तथा भैंस)

28 गोदाम पालक/

तालाब पालक

29 क्षेत्र श्रमिक

30 डाक वाहक/रनर

31 भेड़ पालक

32 पम्प परिचर

33 चतुर्थ श्रेणी

सुरक्षा अमला

34 बेलदार

35 मेहतर एवं

माली

36 सिंचाई भेट

37 मुख्य ग्वाला

38 फायर मैन

39 मेहतर एवं शव

परीक्षा परिचर

40 पैकर

41 कोलमैन एवं मेहतर

42 बढई

43 चूजापालन परिचर

---

1	2	3	4	5	6
44	कसाई (बूचड़)				
45	प्रजनन एवं पालन परिचर				
46	वाचमेन पहरेदार				
47	हैल्पर				
48	मेहतर एवं चौकीदार				
49	ड्रेसर/ ऊन ड्रेसर				
50	समयपालक (टाईम कीपर)				
51	पशु पकड़ने वाला				
52	कनिष्ठ दुग्ध मापक				
53	बायलर परिचर				
54	धुड़सवार				
55	बायलर चूजे पालन परिचर				
56	शुष्क तथा लवु भंडार (यंग स्टाफ) परिचर				
57	काफ बवाई				
58	चफ कटर चारा काटने वाला				

2580

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999  
(ASAR 10, 1921 SAKA)

---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

---

59 बैल परिचर

60 भंडारी  
(स्टोरमैन)

61 कामदार

62 बैलों बवाई  
धौकनी चलाने  
वाला

63 नालवाला (फेरियर)

बी.डी. डालिया,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
पशुपालन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT  
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Notification

The 4th June, 1999

No. GSR 69/Const./Art. 309/99.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Veterinary Headquarter and Field (Group-D) Service, namely :--

PART-I GENERAL

Short title and Commencement :

1. (1) These rules may be called the Haryana Veterinary Headquarter and Field (Group D) service, Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(b) "Director" means the Director, Animal Husbandry, Haryana ;

(c) "employment exchange" means the employment exchange situated in Haryana ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "Head of the office" means Chief Superintendent in case of Government Live Stock Farm, Hisar ; Project Director, in case of Haryana State Cattle Breeding Project, Hisar ; Institute Director, in case of Haryana, Veterinary Vaccine Institute, Hisar ; or Deputy Director, Animal Husbandry Department ; as the case may be ;

(f) "institution" means,--

(i) any Institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(g) "Service" means the Haryana Veterinary (Group D) Service.

#### PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

##### Number and Character of posts:

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix-A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts and to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :--

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri-Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

**Age :**

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than sixteen years or more than thirty five years of age on or before the 1st day of January next preceding the date of registration with the Employment Exchange.

**Appointing authority :**

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the authority mentioned in column 3 of Appendix-C.

**Qualifications :**

7. No person shall be appointed to any post in the service, unless he is in possession of qualification and experience specified in column 3 of Appendix-B to these rules in case of direct

recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment :

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 per cent at the discretion of the appointing authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the Vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

**Disqualifications :**

8. No person,--

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

**Method of recruitment :**

9. Recruitment to the Service shall be made--

**HEADQUARTER STAFF**

I. in the case of Daftri,--

- (i) by promotion from amongst Peon ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.



II. in case of Jamadar,--

- (i) by promotion from amongst Peon ;
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

III. in case of Peon,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

IV. in case of Chowkidar,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

V. in case of Sweeper,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

FIELD STAFF

I. in case of Daftri,--

- (i) by promotion from amongst Peon ;
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

II. in case of Jamadar,--

- (i) by promotion from amongst Peon ;

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

III. in case of Mate (Agriculture),--

- (i) by promotion from amongst Ploughman or Beldar ;
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

IV. in case of Mate (Live Stock),--

- (i) by promotion from amongst Dairy Attendant/Bull Attendant/Cowherd ;
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

V. in case of Welder,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

VI. in case of Turner,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

VII. in case of Milker,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

VIII. in case of Peon,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

IX. in case of Sweeper,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

X. in case of Chowkidar/Watchman,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XI. in case of Bull-Attendant,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XII. in case of Water Carrier,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XIII. in case of Dresser,--

- (i) by direct recruitment ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XIV. in case of Poultry Attendant,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XV. in case of Semen Messenger,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XVI. in case of Literate Labour,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XVII. in case of Forest Guard/Forest Peon,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XVIII. in case of Pig-Attendant,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XIX. in case of Bhisti,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XX. in case of Syce,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXI. in case of Dairy Attendant,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXII. in case of Weighman,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXIII. in case of Ploughman/Mali,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XXIV. in case of Truck Cleaner,--

(i) by direct recruitment ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXV. in case of Mali,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXVI. in case of Lab Attendant,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXVII. in case of Cowherd/Buffaloherd,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXVIII. in case of Godown Keeper/Pond Keeper,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXIX. in case of Field Man,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXX. in case of Dak Messenger/Runner,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXI. in case of Shepherd/Sheep-Shearer,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXII. in case of Pump Attendant,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXIII. in case of Class IVth Security Staff,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXIV. in case of Beldar,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXV. in case of Sweeper-cum-Mali,--

- (i) by direct recruitment ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXVI. in case of Irrigation Mate,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXVII. in case of Head Gawala,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXVIII. in case of Fireman,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXXIX. in case of Sweeper-cum-Post mortem Attendant,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XL. in case of Packer,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;



XXI. in case of Coal-man-cum-Sweeper,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXII. in case of Carpenter,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXIII. in case of Chick-Rearing Attendant,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XXIV. in case of Butcher,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XLV. in case of Breeding and Rearing Attendant,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

XLVI. in case of Watchman,—

- (i) by direct recruitment ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XLVII. in case of Helper,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

XLVIII. in case of Sweeper-cum-Chowkidar,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

IL. in case of Dresser/Wool Dresser,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

L. in case of Time Keeper,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LI. in case of Cattle Catcher,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LII. in case of Junior Milk Recorder,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LIII. in case of Boiler Attendant,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LIV. in case of Horse Man,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LV. in case of Broiler Chicks Rearing Attendant,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LVI. in case of Dry and Young Stock Attendant,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LVII. in case of Calf Boy,—

- (i) by direct recruitment ; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LVIII. in case of Chuff Cutter,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LIX. in case of Bullock Attendant,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LX. in case of Store-Man,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India

LXI. in case of Kamdar,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LXII. in case of Bellow Boy,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

LXIII. in case of Farrier,--

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) Appointments by promotion shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) When any vacancy occurs or is about to occur in the service, the Government shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.

**Probation :**

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year if appointed otherwise :

Provided that,--

- (a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,--

- (a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

- 
- (b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--
- (i) revert him to his former post; or
  - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment;
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--
- (a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,--
    - (i) confirm such person from the date of his appointment if appointed, against a permanent vacancy; or
    - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
    - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
  - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,--
    - (i) dispenses with his service, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
    - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation.

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

**Seniority :**

11. Seniority, inter se of members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadre in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

**Liability to serve :**

12. (1) A member of the service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the state of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,--

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State

Government, a municipal corporation or a local authority of university within the State of Haryana;

- (ii) the Central Government or a company an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

**Pay leave pension and other matters :**

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the member of the service shall be governed by such rules, and regulation as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

**Discipline, penalties and appeals :**

14. (I) In matters, relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub rule (I) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.



**Vaccination :**

15. Every member of the services, shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by special or general order.

**Oath of allegiance :**

16. Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

**Power of relaxation :**

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**Special provision :**

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

**Reservations :**

19. Nothing contained in these rules shall effect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, backward Classes, Other Backward Classes, Ex-serviceman, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time :

**Repeal and savings :**

20. The Punjab State (Class-IV) Service Rules, 1963, are hereby repealed to the extent these are applicable to this service:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules;

## APPENDIX A

See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of Pay
		Temporary	Permanent		
1	2	3	4	5	6
<b>HEADQUARTER STAFF :</b>					
1	Daftri	1	--	1	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000
2	Jamadar	--	1	1	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000
3	Peon	21	--	21	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
4	Chowkidar	1	1	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200.
5	Sweeper	--	1	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200+65 Special Pay
<b>FIELD STAFF :</b>					
1	Daftri	1	--	1	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000
2	Jamadar	--	1	1	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000
3	Mate (Agriculture)	3	--	3	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000
4	Mate (Livestock)	2	--	2	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000
5	Welder	2	--	2	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000
6	Turner	1	--	1	Rs. 2610-60-3150-EB-65-3540
7	Milker	49	--	49	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999  
(ASAR 10, 1921 SAKA)

2603

1	2	3	4	5	6
8	Peon	91	42	133	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
9.	Sweeper	507	207	714	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200 + 65 Special Pay
10	Chowkidar/Watchman	27	11	38	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
11	Bull Attendant	1162	140	1302	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
12	Water Carrier	657	185	842	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
13	Dresser	--	26	26	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
14	Poultry Attendant	--	19	19	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
15	Semen Messenger	51	23	74	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
16	Literate Labourer	13	--	13	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
17	Forest Gurad/ Forest Peon	--	15	15	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
18	Pig Attendant	29	77	106	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
19	Bhisti	1	4	5	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
20	Syce	2	34	36	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
21	Dairy Attendant	1	10	11	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
22	Weighman	1	5	6	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
23	Ploughman	--	132	132	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200

2604

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999  
(ASAR 10, 1921 SAKA)

1	2	3	4	5	6
24	Truck Cleaner	7	--	7	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
25	Mali	2	3	5	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
26	Lab Attendant	30	3	33	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
27	Cowherd/Buffalo-herd	37	103	140	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
28	Godown Keeper/ Pond Keeper	--	7	7	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
29	Field Man	18	--	18	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
30	Dak Messenger/ Runner	2	2	4	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
31	Shepherd	111	33	144	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
32	Pump Attendant	3	--	3	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
33	Class IVth Security Staff	2	--	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
34	Beldar	25	--	25	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
35	Sweeper-cum-Mali	--	10	10	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
36	Irrigation Mate	1	2	3	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
37	Head Gwala	4	--	4	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
38	Fireman	--	1	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
39	Sweeper-cum-Post mortem Attendant	--	1	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
40	Packer	--	2	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999  
(ASAR 10, 1921 SAKA)

2605

1	2	3	4	5	6
41	Coalman-cum-Sweeper	--	1	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
42	Carpenter	--	1	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
43	Chick Rearing Attendant	--	3	3	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
44	Butcher	--	2	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
45	Breeding and Rearing Attendant	--	2	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
46	Watchman	--	3	3	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
47	Helper	6	--	6	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
48	Sweeper-cum-Chowkidar	24	21	45	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
49	Dresser/Wool Dresser	2	--	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
50	Time-Keeper	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
51	Cattle Catcher	3	--	3	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
52	Junior Milk Recorder	5	--	5	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
53	Broiler Attendant	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
54	Horseman	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
55	Broiler Chicks Rearing Attendant	2	--	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
56	Dry and Young Stock Attendant	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200

2606

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), JULY 1, 1999  
(ASAR 10, 1921 SAKA)

1	2	3	4	5	6
57	Calf Boy	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
58	Chuff Cutter	2	--	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
59	Bullock Attendant	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
60	Storeman	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
61	Kamdar	2	--	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
62	Bellow Boy	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200
63	Farrier	1	--	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200

APPENDIX-B

(See rule 7)

Sr. Designation of No. Posts	Academic Qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic Qualifications and experience if any, for appointment otherwise than by direct recruitment.
---------------------------------	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

HEADQUARTER STAFF:

1	Daftri	--	(i) Middle Pass with Hindi ; (ii) 5 years experience as Peon.
2	Jamadar	--	(i) Middle with Hindi ; (ii) 5 years experience as Peon.
3	Peon	Middle Pass with Hindi	Middle pass with Hindi.
4	Chowkidar	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
5	Sweeper	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.

FIELD STAFF:

1	Daftri	--	(i) Middle pass with Hindi ; (ii) 5 years experience as Peon.
2	Jamadar	--	(i) Middle pass with Hindi ; (ii) 5 years experience as Peon.
3	Mate (Agriculture)	(i) Middle pass with Hindi ; (ii) 2 years experience as Mate (Agriculture)	By promotion: 8 years experience as Plough- man/Beldar.  By transfer: (i) Middle pass with Hindi ; (ii) 2 years experience as Mate (Agriculture)
4	Mate (Livestock)	(i) Middle pass with Hindi ; (ii) 2 years experience as Mate (Livestock)	By promotion: (i) 8 years experience as Dairy Attendant/Bull Attendant/ Cowherd

1	2	3	4
		<b>By transfer:</b>	
		(i) Middle pass with Hindi;	
		(ii) 2 years experience as Mate (Livestock).	
5, Welder	(i) Middle pass with Hindi;	(i) Middle pass with Hindi;	
	(ii) Welder Diploma from Industrial Training Institute.	(ii) Welder Diploma from Industrial Training Institute.	
6 Turner	(i) Middle pass with Hindi;	(i) Middle pass with Hindi;	
	(ii) One year Diploma of Turner from Industrial Training Institute.	(ii) One year Diploma of Turner from Industrial Training Institute.	
7 Milker	(i) Should be able to read and write Hindi;	(i) Should be able to read and write Hindi;	
	(ii) One year experience of Milking.	(ii) One year experience of Milking.	
8 Peon	Middle pass with Hindi.	Middle pass with Hindi.	
9 Sweeper	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.	
10 Chowkidar/Watchman	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.	
11 Bull Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi;	(i) Should be able to read and write Hindi;	
	(ii) Rural Background;	(ii) Rural Background;	
	(iii) One year experience of handling of Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days training Livestock rearing/Dairying.	
12 Water Carrier.	(i) Should be able to read and write Hindi;	(i) Should be able to read and write Hindi;	
	(ii) Rural Background;	(ii) Rural Background;	
	(iii) One year experience of handling of Animals; or	(iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days	



1	2	3	4
	21 days training in Livestock rearing/Dairying.	training in Livestock rearing/Dairying.	
13 Dresser.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling of the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days training Livestock rearing/Dairying.	
14 Poultry Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Poultry Farm activities; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Poultry Farm activities; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	
15 Semen Messenger.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	
16 Literate Labour	(i) Matric with Hindi; (ii) One year experience of Labour handling.	(i) Matric with Hindi; (ii) One year experience of Labour handling.	
17 Forest Guard/ Forest Peon.	Middle pass with Hindi.	Middle pass with Hindi.	
18 Pig Attendant	(i) Middle pass with Hindi; (ii) Rural Background;	(i) Middle pass with Hindi; (ii) Rural Background;	

1	2	3	4
		(111) One year experience of handling the Pig Farm; or 21 days training in Pig Farm.	(111) One year experience of handling the Pig Farm; or 21 days training in Pig Farm.
19	Bhisti	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Knowledge of Animal Handling for carts.	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Knowledge of Animal Handling for carts.
20	Syce	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Knowledge of Horse; or Donkey handling.	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Knowledge of Hourse; or Donkey handling.
21	Dairy Attendant	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Rural Background; (111) One year experience of handling the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Rural Background; (111) One year experience of handling the Animals; or 21 days training Livestock rearing/Dairying.
22	Weighman.	(1) Middle pass with Hindi; (11) One year experience of working on a weigh bridge.	(1) Middle pass with Hindi; (11) One year experience of working on a weigh bridge.
23	Ploughman	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Rural Background; (111) One year experience in Agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(1) Should be able to read and write Hindi; (11) Rural Background; (111) One year experience in Agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.
24	Truck Cleaner	(1) Middle pass with Hindi; (11) One year experience as Truck Cleaner.	(1) Middle pass with Hindi; (11) One year experience as Truck Cleaner.

1	2	3	4
25	Mali	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience of Plantation of garden.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience of plantation of garden.
26	Lab. Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience in handling of laboratory equipments.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience in handling of Laboratory equipments.
27	Cow Herd/ Buff. Herd.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling of Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.
28	Godown Keeper/ Pond Keeper	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience of record keeping	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience of record keeping
29	Fieldman	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year knowledge of agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year knowledge of agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/Dairying.
30	Dak Messenger/ Runner	Middle Pass with Hindi.	Middle pass with Hindi.
31	Shepherd.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience for handling the Sheep	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience for handling the Sheep.

1.	2	3	4
32 Pump Attendant	(i) Middle Pass with Hindi; (ii) One year experience of working on a pump.	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience of working on a pump.	
33 Class-IV Security Staff	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience for office/Farm Security.	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience for office/Farm Security.	
34 Beldar	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Animals; of 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the Animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	
35 Sweeper-cum-Mali	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.	
36 Irrigation Mate	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience for agriculture labour contralling.	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience for agriculture labour contralling.	
37 Head Gwala	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of agriculture work; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	
38 Fireman	(i) Should be able to read and write Hindi. (ii) One year experience for fire service.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience for fire service.	
39 Sweeper-cum-Post-Mortem attendant	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.	

1	2	3	4
40	Packer	Middle pass with Hindi.	Middle pass with Hindi.
41	Coalman-cum-Sweeper	(i) Should be able to read and write Hindi.	(i) Should be able to read and write Hindi.
42	Carpenter	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience for carpenter work.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience for carpenter work.
43	Chicks rearing Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience for handling the animals/ poultry birds; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience for handling the animals/ poultry birds; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.
44	Butcher	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
45	Breeding and rearing attendant	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience for handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience for handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.
46	Watchman	Should be able to read and write Hindi	Should be able to read and write Hindi.
47	Helper	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.

1	2	3	4
48	Sweeper-cum-Chowkidar	Should be able to read and write Hindi.	Should be able to read and write Hindi.
49	Wool Dresser	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the sheep	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the sheep.
50	Time-Keeper	(i) Middle pass with Hindi.	(i) Middle pass with Hindi.
51	Cattle Catcher	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.
52	Junior Milk Recorder	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.
53	Boiler Attendant	(i) Middle pass with Hindi; (ii) Registered Boiler Operator; (iii) One year experience as Boiler Operator.	(i) Middle pass with Hindi; (ii) Registered Boiler Operator; (iii) One year experience as Boiler Operator.
54	Horseman	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience for handling Horse/Donkey.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience for handling Horse/Donkey.

1	2	3	4
55	Broiler Chicks Rearing Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) One year experience in rural area for poultry activities;	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) One year experience in rural area for poultry activities.
56	Dry and Young Stock Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.
57	Calf Boy	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.
58	Chuff Cutter	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; handling the animals; or 21 days training in Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.
59	Bullock Attendant	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi;  (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.

1	2	3	4
60 Storeman	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience of Stores/Record keeping.	(i) Middle pass with Hindi; (ii) One year experience of Stores/Record keeping.	
61. Kamdar	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience in rural area for agriculture activities.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) One year experience in rural area for agriculture activities.	
62 Bellow Boy	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background.	
63 Farrier	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	(i) Should be able to read and write Hindi; (ii) Rural Background; (iii) One year experience of handling the animals; or 21 days training in Livestock rearing/ Dairying.	



APPENDIX C

[(See rule 14(i)]

Sr. No	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority if, any
1	2	3	4	5	6	7

HEADQUARTER STAFF

MINOR PENALTIES :

1	Daftri	Director	(i) Warning with a copy on the personal file (character roll);	Director	Government	
2	Jamadar					
3	Chowkidar		(ii) Censure ;			
4	Peon		(iii) withholding of promotion ;			
5	Sweeper		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or a Local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and			

---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

---

(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect ,

**MAJOR PENALTIES :**

(v-9) Withholding of increments of pay with cumulative effect ;

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with

---

1 2 3 4 5 6 7

or without further  
directions regarding  
conditions of resto-  
ration to the grade  
or post or service  
from which the  
Government employee  
was reduced and his  
seniority and pay  
on such restoration  
to that grade,  
post or service ;

(viii) Compulsary retire-  
ment ;

(ix) removal from Ser-  
vice which shall  
not be a disquali-  
fication for future  
employment under  
the Government ;

(x) dismissal from  
service which shall  
ordinarily be a  
disqualification  
for future employ-  
ment under the  
Government.

Field Staff

Minor Penalties

1 Daftri	Head of	(i) Warning with a copy	Head of	Director, Government
2 Jamadar	Office	on the personal file	Office	Animal
3 Mate		(character roll) ;		Husbandry,
(Agriculture)		(ii) Censure ;		Haryana
4 Mate		(iii) withholding of		
(Livestock)		promotion ;		
5 Welder		(iv) recovery from pay		
6 Turner		of the whole or		
7 Milker		part of any		
8 Peon		pecuniary loss		
		caused by negli-		
		gence or a breach		

1	2	3	4	5	6	7
9	Sweeper		of orders, to the			
10	Chowkidar/ Watchman		Central Government			
11	Bull Attendant		or a State Govern- ment or to a com- pany and association			
12	Water Carrier		or a body of indivi- duals whether incorpo- rated or not, which			
13	Dresser		is wholly or sub- stantially owned or controlled by the			
14	Poultry Attendant		Government or to a Local authority or Univer- sity set up by an Act			
15	Semen Messenger		of Parliament or of the Legislature of a State ; and			
16	Literate Labour					
17	Forest Guard/ Forest Peon		(v) Withholding of in- crements of pay without cumulative effect ;			
18	Pig Attendant					
19	Bhisti					
20	Syce		<b>MAJOR PENALTIES :</b>			
21	Dairy Attendant		(v-9) Withholding of in- crements of pay with cumulative effect ;			
22	Weighman					
23	Ploughman/Mali		(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further direc- tions as to whether or not the Govern- ment employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether			
24	Truck Cleaner					
25	Mali,					
26	Lab Attendant					
27	Cowherd/ Buff-Herd					
28	Godown Keeper/ Pond Keeper					
29	Fieldman					
30	Dad Messenger/ Runner		on the expiry of such period, the			

1	2	3	4	5	6	7
31	Shepherd		reduction will or			
32	Pump		will not have the			
	Attendant		effect of post-			
33	Class-IV		poning the future			
	Security Staff		increments of his			
			pay ;			
34	Beldar	(vii)	reduction to a lower			
35	Sweeper-		scale of pay, grade,			
	cum-Mali		post or service			
36	Irrigation		which shall ordi-			
	Mate		narily be a bar to			
37	Head Gwala		the promotion of the			
38	Fireman		Government employee			
39	Sweeper-		to the time scale of			
	cum-post		pay, grade, post or			
	mortem		service from which			
	attendant		he was reduced, with			
40	Packer		or without further			
41	Coalman-cum-		directions regarding			
	Sweeper		conditions of resto-			
42	Carpenter		ration to the grade			
43	Chick Rearing		or post or service			
	Attendant		from which the			
44	Butcher		Government employee			
45	Breeding and	(viii)	was reduced and his			
	Rearing		seniority and pay			
	Attendant		on such restoration			
46	Watchman		to that grade,			
47	Helper		post or service ;			
48	Sweeper-cum-					
	Chowkidar					
49	Dresser/	(x)	dismissal from			
	Wool Dresser		service which shall			
			ordinarily be a			
			disqualification			

1	2	3	4	5	6	7
50	Time Keeper					
51	Cattle Catcher					
52	Junior Milk Recorder					
53	Boiler Attendant					
54	Horseman					
55	Broiler-Chicks Rearing Attendant					
56	Dry and Young Stock Attendant					
57	Calf Boy					
58	Chaff Cutter					
59	Bullock Attendant					
60	Storeman					
61	Kamdar					
62	Bellow Boy					
63	Farrier					

for future employment under the Government.

APPENDIX D

[(See rule 14(2))]

Sr. No.	Designation of Posts	Nature of Order	Authority empowered to make order	Appellate authority	Second and final appellate authority if, any.
1	2	3	4	5	6
<b>HEADQUARTER STAFF</b>					
1	Daftri	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension	Director	Government	--
2	Jamadar	admissible under the rules governing pension ;			
3	Peon	(ii) terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation ;			
4	Chowkidar				
5	Sweeper				
<b>FIELD STAFF</b>					
1	Daftri	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension	Head of the Office	Director, Government Animal Husbandry, Haryana	
2	Jamadar	admissible under the rules governing pension ;			
3	Mate (Agriculture)	(ii) terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation ;			
4	Mate (Livestock)				
5	Welder				
6	Turner				
7	Milker				
8	Peon				
9	Sweeper				
10	Chowkidar/ Watchman				
11	Bull Attendant				

1	2	3	4	5	6
12	Water Carrier				
13	Dresser				
14	Poultry Attendant				
15	Semen Messenger				
16	Literate Labourer				
17	Forest Guard/ Forest Peon				
18	Pig Attendant				
19	Bhisti				
20	Syce				
21	Dairy Attendant				
22	Weighman				
23	Ploughman				
24	Truck Cleaner				
25	Mali				
26	Lab.Attendant				
27	Cowherd/ Buffalo Herd				
28	Godownkeeper/ Pondkeeper				
29	Fieldman				
30	Dak Messenger/ Runner				
31	Shepherd				
32	Pump Attendant				
33	Class-IV Security Staff				



1	2	3	4	5	6
34	Beldar				
35	Sweeper- cum-Mali				
36	Irrigation Mate				
37	Head Gwala				
38	Fireman				
39	Sweeper- cum-Post Mortem Attendant				
40	Packer				
41	Coalman-cum- Sweeper				
42	Carpenter				
43	Chick Rearing Attendant				
44	Butcher				
45	Breeding and Rearing Attendant				
46	Watchman				
47	Helper				
48	Sweeper-cum- Chowkidar				
49	Dresser/ Wool Dresser				
50	Time-Keeper				
51	Cattle Catcher				
52	Junior Milk Recorder				
53	Boiler Attendant				

1	2	3	4	5	6
54	Horseman				
55	Broiler-Chicks				
	Rearing				
	Attendant				
56	Dry and Young				
	Stock Atten-				
	dant				
57	Calf Boy				
58	Chaff Cutter				
59	Bullock				
	Attendant				
60	Storeman				
61	Kamdar				
62	Bellow Boy				
63	Farrier				

B.D. DHALIA,  
Commissioner and Secretary  
to Government, Haryana,  
Animal Husbandary Department.